न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–43/2020 (2020/00385) **दर्ज दिनांक 25.08.2020**
प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

किशन पिता गुलाब भील निवासी मालीखेड़ा पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु. गंगापुर ,जिला–भीलवाड़ा।

–विपक्षी

वकिल प्रार्थीः–श्री भगवतीलाल टेलर
विपक्षीः– पेरोकार सरकार

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>

निर्णय

दिनांक 22.02.2021

प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विपक्षी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य स्वामित्व की सरहद ग्राम गुढ़ा का खेड़ा पटवार हल्का भरक तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की साबिक आराजी नं0 301/3 एवं 302, 302 मीन है तथा वर्तूमान आराजी नं0 695, 696 है। उक्त नम्बरान का साबिक रकबा 0.6483 हे0 था जो वर्तमान रकबा 0.65 हे0 है। खसरा मिलान एवं साबिक जमाबंदी साथ प्रस्तुत है।

यह कि साबिक नम्बर 301/3, 302, [illegible] का नक्शा और वर्तमान नम्बर 695, 696 के नक्शे में काफी अन्तर आ गया है जिससे [illegible] अन्य खातेदारान एवं प्रार्थी के मध्य भूमि की सीमा को लेकर आये दिन [illegible] प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सही तरीके से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.04 11:25:14 IST
Reason: SelfAttested

यह कि साबिक राजस्व नक्शा एवं वर्तमान राजस्व नक्शा में देखन[illegible] अन्तर दिखाई दे रहा है जिससे प्रार्थी का खेत मौके पर कम हो गया है तथा नक्शा टेढ़ा मेढ़ा होने से प्रार्थी की आराजी के रकबे के मुकाबले भूमि नहीं है जिससे प्रार्थी को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रकरण संख्या :–43 / 2020 (2020 / 00385)
प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

यह कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा सेटलमेन्ट के बाद में जो नया नक्शा नये नम्बरान का बयाया है उसमें बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही राजस्व नक्शे में रद्दोबदल कर दिया और नक्शे में परिवर्तन कर दिया जिससे प्रार्थी के वर्तमान नक्शे में काफी परिवर्तन आ गया है और पड़ौसियों के आपसी विवाद बढ़ गये है। प्रार्थी के आराजीयात के नक्शे में राजस्व कर्मचारियों के द्वारा मनमाफिक तरीके से अपनी मनमर्जी से परिवर्तन कर दिया है जिसका खामियाजा प्रार्थी को भुगतना पड़ रहा है इसलिये वर्तमान नक्शे में साबिक नक्शे अनुसार संशोधन किया जा ना आवश्यक हैं

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी आराजी संख्या 695, 696 के वर्तमान राजस्व नक्शे को साबिक नक्शे अनुसार दुरूस्त कराये जाने का आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रकरण दिनांक 25.08.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट तलब फरमायी जाने बाबत् निवेदन किया जिस पर तहसीलदार सहाड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई मौका रिपोर्ट अनुसार :–

ग्राम गुढ़ा का खेड़ा के हाल आराजी नं0 695 रकबा 0.43 हे0, 696 रकबा 0.22 कुल किता 2 रकबा 0.65 हे0 खातेदार किशना पिता गुलाब भील के नाम अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 से खाता संख्या 122 के नाम दर्ज रेकार्ड है। रोटेशन संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 158 में उपरोक्त आराजीयात भग्गाराम, सोहनलाल, किशनलाल, सुरेश पिता नाथूराम, मंजूदेवी पुत्री नाथूराम मीणा के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा आराजी नं0 695 रकबा 0.43 हे0, 696 रकबा 0.22 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 हे0 भग्गाराम, सोहनलाल, किशनलाल, सुरेश पिता नाथूराम, मंजूदेवी पुत्री नाथूराम मीणा से दिनांक 15.01.2019 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई, मौके पर प्रार्थी का हाल आराजी नं0 695 व 696 पर ही कब्जा है। उपरोक्त आराजियात के उत्तर दिशा में आराजी नं0 673 रकबा 0.23 हे0 गै0मु0 रास्ता बिलानाम है। पश्चिम दिशा में आराजी नं0 689 रकबा 0.24 हे0 किस्म गै0मु0 रास्ता चारागाह में दर्ज रेकार्ड है। पूर्व दिशा में आराजी नं0 697 रकबा 0.65 हे0 खातेदार बोरी दुख्सर बख्तावर मीणा के नाम आराजी नं0 693 रकबा 0.31 हे0 खातेदार हीरा, मीठु शिव पिता नानू वगै0 लुहार के नाम दर्ज रेकार्ड है। दक्षिण दिशा में आराजी नं0 694 रकबा 0.05 हे0 किस्म गै0मु0 रास्ता चारागाह में दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा हाल आराजी नं0 695, 696 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 15.01.2019 को क्रय की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.04 11:25:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या :–43 / 2020 (2020 / 00385)
प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

प्रार्थी के अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में राजस्व रेकार्ड पेश किया साथ ही पेरोकार सरकार की बहस एवं मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन किया जिससे प्रतित होता हैं कि प्रार्थी द्वारा हाल आराजी नं0 695, 696 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 15.01.2019 को क्रय की गई है। जो भू प्रबंध के बाद क्रय की गई हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का पोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 3.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.04 11:25:14 IST
Reason: SelfAttested